संख्या- 69 / 2016 /331 /चार-2016-49(वि)/2015टीसी

प्रेषक,

तुलसी राम
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 21 मार्च ,2016

विषयः- साझी विरासत मासिक संगीत श्रृखंला के अन्तर्गत माह जून में कराये गये कार्यक्रमों में प्रकाशन मद में हुए अतिरिक्त व्यय रू0 23,616/- की प्रशासनिक/ वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1965 /सं0नि-19(1)/साझी विरासत/2013 टीसी , दिनांक 06 नवम्बर,2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि साझी विरासत मासिक संगीत श्रृखंला के अन्तर्गत माह जून में कराये गये कार्यक्रमों में प्रकाशन मद में हुए अतिरिक्त व्यय रू0 23,616/- (रूपये तेईस हजार छः सौ सोलह मात्र) की प्रशासनिक/ वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त कुल धनराशि रू0 23,616/- (रूपये तेईस हजार छः सौ सोलह मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- साझी विरासत मासिक संगीत श्रृखंला के अन्तर्गत माह जून में कराये गये कार्यक्रमों में प्रकाशन मद में हुए अतिरिक्त व्यय रू0 23,616/- (रूपये तेईस हजार छः सौ सोलह मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92- के अधीन लेखाशीर्षक-2205- कला एवं संस्कृति-आयोजनेत्तर- 001-निदेशन एवं प्रशासन-03- संस्कृति निदेशालय-42- अन्य व्यय में उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा।

भवदीय,

(तुलसी राम)
विशेष सचिव।

संख्या- 69 / 2016 /331 (1)/चार-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री जी।
3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/ वित्त (ई-7) अनुभाग
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(मनोज कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/